

D.A.V. COLLEGE MANAGING COMMITTEE

CHITRA GUPTA ROAD, NEW DELHI-110055.

Ref. No. 68956Dated 13/08/94

दयानन्द प्रेमलो वैदिक कालेज ट्रस्ट एण्ड मैनेजमेन्ट सोसायटी, नई दिल्ली
कीशनिवार-दिनांक : 18 अप्रैल, 1992 में पाठित प्रस्ताव संख्या दो की
प्रतिलिपि

प्रस्ताव संख्या-दो

डी०ए०वी०कालेज प्रबन्धकर्तृ समिति के निम्नलिखित प्रस्ताव
संख्या 100 दिनांक 8/3/92 को विचार विमर्श पश्चात् स्वीकृत किया
गया ।

प्रस्ताव संख्या -100- डी०ए०वी०कालेज प्रबन्धकर्तृ समिति, दिनांक 8/3/92

देशीय निदेशक-डी०ए०वी०पब्लिक स्कूल, उत्तर प्रदेश के पत्रांक:

आरडी/1316 दिनांक: 8/3/1992 पर विचार किया गया तथा निम्नव्य
हु आ कि शिक्षा निदेशालय, लखनऊ {उ०प्र०} के द्वारा जो निम्नलिखित शर्तें
उ०प्र०के डी०ए०वी०पब्लिक स्कूलों को अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने हेतु निर्धारित
की है उन्हे स्वीकार किया जाता है :-

- {क} विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जाएगा ।
- {ख} विद्यालय की प्रबन्धक समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- {ग} विद्यालय में कम से कम 10 प्र०श०स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के मेधावी बच्चों को सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद/बैसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जाएगा ।
- {घ} संस्था द्वारा सरकार से कोई अनुदान की मांग नहीं की जाएगी और यदि पूर्व में विद्यालय, माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेन्दल बोर्ड आफ सेक्रेण्टरी, नई दिल्ली/ काउन्सिल फार दि इन्डीयन स्कूल सर्टीफिकेट एग्जामिनेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जाएगा ।
- {ङ} संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमान्य वेतनमानों तथा अन्य भर्तों से कम वेतनमान तथा अन्य सभी भत्ते नहीं दिए जाएंगे ।
- {च} कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनाई जाएंगी और उन्हे सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के कर्मचारियों को अनुमान्य सेवा निवृत्त लाभ उपलब्ध कराए जाएंगे ।
- {छ} राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किए जाएंगे, संस्था उनका पालन करेगी ।
- {ज} विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजीकाओं में रखा जाएगा

कृ०प०उ०

D.A.V. COLLEGE MANAGING COMMITTEE

CHITRA GUPTA ROAD, NEW DELHI-110055.

Ref. No. _____

Dated _____

: 2 :

यदि हां, तो कृपया प्रबन्धाधिकरण का इस आशय का प्रस्ताव सत्मान करें
कि विद्यालय को विभाग/शासन के सभी प्रतिबन्ध क्रम 1 से 8 तक स्वीकार है।

प्रमाणित प्रतिलिपि


General Secretary
DAV College Managing Committee
New Delhi.